साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 12, अंक : 7 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 11 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

उत्तराखंड में घट रही वनस्पति ?

अंतरिक्ष से मिले चौंकाने वाले सबूत

शिमला। हिमालय में घास के मैदानों का फैलाव बढ़ रहा है, जंगलों के रंग बदल रहे हैं और घाटियों की वनस्पति में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। यह बदलाव पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहराते जलवायु प्रभावों का संकेत दे रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति की निगरानी करने वाले उपग्रहों ने पिछले दो दशकों में इन परिवर्तनों को दर्ज करते हुए स्पष्ट किया है कि क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन धीरे-धीरे दबाव में आता जा रहा है।

उपग्रह आंकड़ों को बड़े पैमाने पर विश्लेषित करने वाले वैश्विक प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ इंजन का उपयोग पर्यावरण निगरानी में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके माध्यम से भू-क्षरण, धूल और मिट्टी की स्थिति, शहरी विस्तार, तापमान में बदलाव और इनके स्वास्थ्य पर प्रभावों का अध्ययन आसान हो गया है। यह मंच डेटा को पहले से संसाधित और संग्रहीत रखता है, जिससे बड़े स्तर पर विश्लेषण करना सरल हो जाता है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2001 से 2022 तक उत्तराखंड की वनस्पति, प्रदूषण और जलवायु प्रभावों का अध्ययन

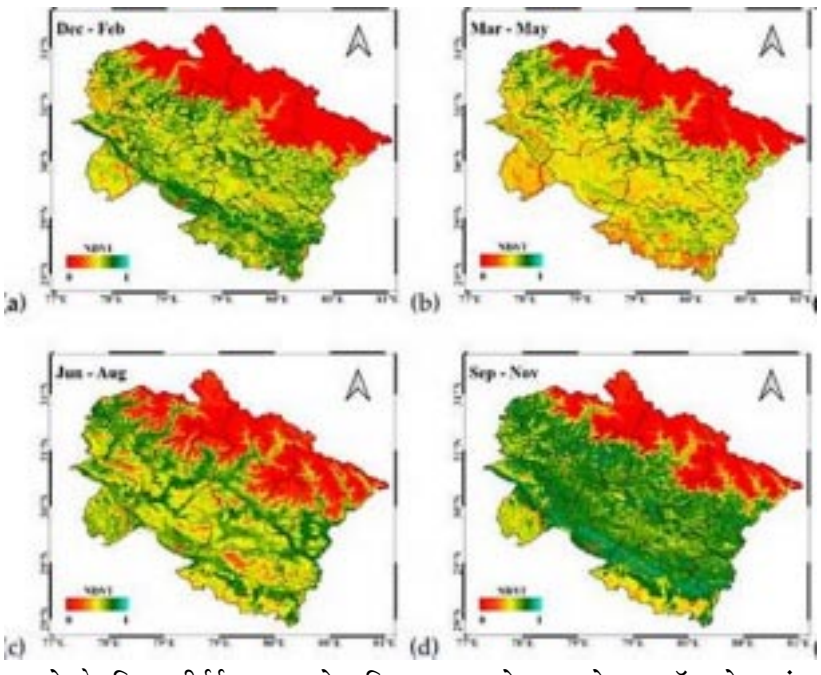

करने के लिए जीईई का उपयोग किया। इस शोध का नेतृत्व डॉ. उमेश चंद्र दुमका ने किया और इसमें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। अध्ययन के परिणाम अंतरराष्ट्रीय जर्नल एनवायरमेंटल मॉनीटिरिंग एंड असेसमेंट में प्रकाशित हुए हैं। वनस्पति में बदलाव समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एनडीवीआई (सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक) का उपयोग किया। यह एक उपग्रह आधारित तकनीक है, जिससे पौधों की हरियाली, घनत्व और स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। कम एनडीवीआई मान बंजर भूमि या बर्फ जैसे क्षेत्रों को दिखाते हैं, जबकि अधिक मान घने जंगल या खेती वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। इसके साथ ही ईवीआई (एन्हांस्ड वेजिटेशन इंडेक्स) का भी विश्लेषण किया गया, जो अधिक घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में अधिक सटीक जानकारी देता है। अध्ययन में पाया गया कि मानसून के बाद वनस्पति सूचकांक सबसे अधिक और मानसून से पहले सबसे कम होते हैं। यानी मौसम के अनुसार हरियाली में स्पष्ट बदलाव होता है। पिछले दो दशकों में इस प्राकृतिक चक्र में भी परिवर्तन के संकेत मिले हैं।

शोधकर्ताओं ने जंगलों की कटाई, खेती के विस्तार, अवैध लकड़ी कटान और शहरी-औद्योगिक प्रदूषण को वनस्पति में गिरावट के प्रमुख कारणों में शामिल किया है। प्रदूषण का असर सभी जगह समान नहीं पाया गया- कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बदलाव जैव विविधता, जल स्रोतों और प्राकृतिक संतुलन के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि, उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक समय रहते चेतावनी देने में सक्षम है, जिससे नीति-निर्माता और स्थानीय समुदाय जरूरी कदम उठा सकते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन पर होगा बड़ा काम

जयपुर। जगतपुरा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनेगा। इसे लेकर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सोमवार को आइआइटी जोधपुर और एमएनआइटी जयपुर के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि एमओयू के तहत मंडल की ओर से आइआइटी, जोधपुर के साथ 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज' व एमएनआइटी, जयपुर के साथ मिलकर 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना की जाएगी। राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज' एवं 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना की जा रही है। सेंटर्स के लिए मंडल की ओर से जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें। चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिसर्च सेंटर, आमजन, विद्यार्थियों आदि के लिए डेटा एवं नॉलेज हब विकसित किए जाएंगें। ।

मेघालय की रैट-होल खदान में 27 मजदूरों की मौत के बाद उठे सवाल- कब थमेगी अवैध प्रथा?

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले की एक अवैध 'रैट-होल' खदान में हुए भीषण विस्फोट के चलते 27 खनिकों की मौत और नौ के घायल होने की पुष्टि राज्य सरकार ने की है। इस त्रासदी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर राज्य में अवैध रैट-होल खनन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है।

यह घटना 5 फरवरी को सुबह लगभग 11 बजे पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के मुख्यालय ख्लियह्रियात से लगभग 22 किलोमीटर दूर थांगस्को क्षेत्र के सुदूर स्थित मिंसिंगट गांव में हुई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अनुसार, खदानें अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित थीं, जहां केवल चार-पहिया (4×4) वाहनों से ही पहुंचा जा सकता था। इसी कारण बचाव कार्य में काफी देरी हुई। उन्होंने 5 फरवरी को स्थानीय प्रेस को जारी बयान में कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें शाम तक ही मौके पर पहुंच सकीं, क्योंकि आशंका थी कि कई मजदूर कोयला खदान के दो गड्ढों में फंसे हुए हैं। उन्होंने दो खनन गड्ढों से 18 शव बरामद किए। लगभग आठ घायलों को पहले सुतंगा के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और बाद में उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया।

7 फरवरी को दोपहर 1 बजे राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई, जबकि नौ लोग घायल बताए गए। घायलों का मेघालय और असम के विभिन्न अस्पतालों में दूसरे और तीसरे दर्जे के जलने (सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न) के उपचार के लिए इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी के अनुसार, खदानों में भूस्खलन और भूमिगत जल भराव के कारण बचाव अभियान में बाधाएं आईं। एक केंद्रीय गड्ढा लगभग 100 मीटर गहरा था, जिससे कई रैट-होल सुरंगें निकलती थीं। अधिकारी ने डाउन टू अर्थ को बताया, हम इन सुरंगों में फंसे खनिकों की तलाश कर रहे थे, लेकिन दिन के अंत तक हम केवल चार श्रमिकों के शव ही बरामद कर सके। 5 फरवरी को घायल श्रमिकों ने मीडिया से कहा था कि इन खदानों में 70 से 80 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ ही मेघालय में न्यायपालिका और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य में अवैध रूप से संचालित खदानों में बार-बार हो रही मौतों को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने, जो पहले भी खदान मालिकों से अत्यंत खतरनाक 'रैट-होल' खनन पद्धति छोड़ने की अपील करने का दावा करते रहे हैं, इस खनन त्रासदी की व्यापक जांच के आदेश दिए। हालांकि, अदालतें संगमा के इस रुख से संतुष्ट नहीं दिखीं। 5 फरवरी को मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वानलुरा डिएंगदोह और न्यायमूर्ति हमारसन सिंह थांगखियू ने पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) और पुलिस अधीक्षक को अदालत में उपस्थित होने के लिए तलब किया। न्यायाधीशों ने 5 फरवरी की शाम, त्रासदी की खबर सामने आने के तुरंत बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, अदालत इन रिपोर्टों [हालिया खनन दुर्घटना से संबंधित] पर न्यायिक संज्ञान लेने के लिए बाध्य है। यह समझ से परे है कि 14 जनवरी 2026 को हुई एक घटना में एक व्यक्ति की मौत के बावजूद इस क्षेत्र में अवैध कोयला खनन कैसे जारी है।

लाल सलाम को आखरी सलाम-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर, (एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बालाघाट के नाम में ही बल है। इस जिले ने अपने आत्मबल से ही हिमालय जैसी कठिन चुनौती %नक्सलवाद% का अंत करके दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर में नक्सल उन्मूलन का माहौल बना। मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रभावशाली अभियान चलाकर नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और प्रदेश से लाल सलाम को आखरी सलाम किया। नक्सल उन्मूलन में हॉक फोर्स के वीर जवानों की भूमिका अभिनंदनीय है। बालाघाट में नक्सलियों द्वारा कभी खून की होली खेली गई, परंतु जवानों को वीरता, पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता के विश्वास ने क्षेत्र को नक्सल आतंक की जंजीरों से मुक्त किया। राज्य सरकार वीर शहीद जवानों को %अमर जवान ज्योति% के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश की धरती अब नक्सलियों से मुक्त है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले 60 जांबाज जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बालाघाट पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर सलामी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने %अमर जवान ज्योति% पर पुष्प चक्र अर्पित कर प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आईएसओ मानकों के अनुसार तैयार बालाघाट जिले के 32 पुलिस स्टेशनों और अन्य शासकीय कार्यालयों का रिमोट से लोकार्पण किया, इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी मंच से प्रदान किए गए। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने वो बांके अलबेले- जो वापस न लौटे- इस मिट्टी के बेटे गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नक्सल संस्मरण पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, सांसद श्रीमती भारती पारधी, पूर्व मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन, एडीजी नक्सल विरोधी अभियान श्री वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री आदित्य मिश्रा सहित विधायक गण तथा जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह खेद का विषय है कि बालाघाट में पूर्व में तत्कालीन सरकार के मंत्री श्री लिखीराम कावरे की सरेआम हत्या कर दी गई थी। हमारे लिए यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मध्यप्रदेश की 836 किलोमीटर लंबी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। मध्यप्रदेश ने 38 पुलिस जवान और 27 आम नागरिक को खोया है। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से राज्य सरकार ने नक्सलवादियों को जड़ से खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। सघन जंगल के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हॉक फोर्स ने मेगाकासो रणनीति बनाकर नक्सलियों को खदेड़ा और 4 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया। पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान, मानसून और जंगली जानवरों की चुनौतियों के बावजूद भी जारी रहे। हमारी फोर्स ने वर्ष 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्ड कोर नक्सलियों को ढेर किया है। नक्सलियों से कहा गया था कि सरेंडर करो या मारे जाओगे, पुलिस ने राज्य सरकार की इस चेतावनी को वीर जवानों ने सार्थक कर दिखाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में नक्सलियों को अपने पैर जमाने का कोई मौका फिर से न मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर तरह से समुचित प्रबंध कर रही है। बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित 250 स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है। स्थानीय नागरिकों के लिए एकल सुविधा केंद्र, जनजातीय समुदायों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार के लिए शिविरों की शुरुआत की गई है। यह वर्ष कृषि कल्याण के लिए है। अब महाकौशल के बालाघाट में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी। नक्सल समस्या के निपटारे के साथ हमने पूर्व मंत्री स्व. लिखीराम कावरे की हत्या का बदला लिया है। बालाघाट में %अमर जवान ज्योति% नक्सल मुक्त अभियान का स्मारक बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस जवानों को नक्सल विरोधी अभियान की सफलता के लिए बधाई दी। स्कूल शिक्षा, परिवहन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आज बालाघाट जिले के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन है, मध्यप्रदेश की धरती नक्सल समस्या से मुक्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में सरकार, पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर कार्य किया। इसी का परिणाम है कि नक्सल अभियान को पूर्णाहूति दी जा रही है। बालाघाट जिले के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जिले में विकास के अनेकों कार्य हुए हैं, इसके लिये लगभग 3 दशकों तक संघर्षशील रहने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नमन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर सक्रिय हैं।

23,981 उद्योग पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते पाए गए, सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र जारी है, वहीं सदन में उठाए गए एक साल के जवाब में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि भारत में कुल 6,09,886 उद्योग हैं। इनमें से 5,44,364 उद्योग काम कर रहे हैं। इन कार्यरत उद्योगों में से 23,981 उद्योग पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।

इन अनुपालन ने करने वाले उद्योगों के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्रवाई की गई। इनमें 3,600 उद्योगों को बंद करने के निर्देश, 13,718 को कारण बताओ नोटिस, 229 मामलों में कानूनी केस और 6,434 निर्देश जारी किए गए। सिंह ने कहा यह कदम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उठाया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी हर साल बाढ़ और कटाव के कारण भारी नुकसान पहुंचाती है। इस मुद्दे को लेकर सदन में पूछे गए एक और पश्न के उत्तर में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से किए गए अध्ययन का हवाला दिया। जिसमें कहा गया है कि साल 2003-05 से 2008-11 के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में 252.6 वर्ग किलोमीटर भूमि का कटाव हुआ, जबकि 118.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिट्टी का जमाव हुआ।

इसके अलावा सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भारत में 2024 में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन नामक रिपोर्ट के अनुसार, 1986 से 2022 के बीच असम में 2.477 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ। यह राज्य के 35 में से 33 जिलों को प्रभावित करता है। देश में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बनी हुए है। सदन में उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि पंजाब में पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के अनुसार, सितंबर से नवंबर 2025 के बीच पंजाब में 5,114 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने राज्य-विशेष कार्ययोजनाएं बनाई हैं। सदन में सवालों का सिलसिला जारी रहा, एक और प्रश्न के उत्तर में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2022-2030) तैयार की है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और कम कार्बन विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत ग्रीन तमिलनाडु मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर कार्बन सिंक को मजबूत करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि संरक्षण तथा जलवायु-सहनीय कृषि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के अंतर्गत तमिलनाडु को 48 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है।

प्लास्टिक को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एसपीसीबी और पीसीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2022 से जनवरी 2026 तक 8,62,356 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 1,990 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया और 19.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कदम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए अहम है।

सदन में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के लिए प्रश्नों का सिलसिला जारी रहा, एक और प्रश्न के उत्तर में आज, उन्होंने लोकसभा में बताया कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में पर्यावरण नियमों के पालन के लिए दमन प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 11 तकनीकी अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। पिछले सटल दमन जिले में दवा उद्योगों के लिए 20 निरीक्षण किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न उद्योगों पर 27.54 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।

सदन में उठे एक सवाल के जवाब में आज, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी.सोमन्ना ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि कि जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। उस समय आंध्र प्रदेश में केवल 32.18 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। मिशन के अंतर्गत 62.94 फीसदी अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिया गया। छह फरवरी, 2026 तक कुल 74.87 फीसदी ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भूजल को लेकर सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य एजेंसियों द्वारा हर साल भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। 2025 के आकलन के अनुसार, तमिलनाडु में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 22.61 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। वहीं उपयोग योग्य भूजल संसाधन 20.46 बीसीएम और वार्षिक भूजल दोहन 15.04 बीसीएम आंका गया है। यह आंकड़े जल संरक्षण की जरूरत को दर्शाते हैं।

मंडीदीप में सांस लेना बना खतरा

मंडीदीप विश्लेषण से पता चला है कि देश में मंडीदीप की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 322 दर्ज किया गया। मतलब कि वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। इससे पहले कल 06 फरवरी को मंडीदीप में वायु गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया था। मतलब कि 24 घंटों में वहां सूचकांक में 33 अंकों का उछाल आया है। रुझानों में सामने आया है कि मंडीदीप की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) पूरी तरह हावी है। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है।

ललितपुर-क्रशर की गूंज से दरकते घर, स्टोन क्रशर बना ग्रामीणों के लिए संकट

ललितपुर उत्तर प्रदेश में ललितपुर की महरोनी तहसील के छिल्ला गांव में चल रहे एक स्टोन क्रशर पर पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 5 फरवरी 2026 को संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।

ट्रिब्यूनल ने राज्य के मुख्य सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही ललितपुर के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और त्रिदेव स्टोन क्रशर से भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने मामले की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिलाधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिकरण ने निर्देश दिया कि समिति दो सप्ताह के भीतर बैठक कर साइट का दौरा करे, तथ्यों की पुष्टि करे और कानून के अनुसार सुधार के लिए जरुरी कदम उठाए। ललितपुर- क्रशर की गूंज से दरकते घर, स्टोन क्रशर बना ग्रामीणों के लिए संकट आवेदन में आरोप लगाया गया है कि स्टोन क्रशर में पत्थर तोड़ने के लिए जमीन में ड्रिलिंग कर अत्यधिक मात्रा में विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे इलाके में लगातार कंपन महसूस हो रही है। स्थिति यह है कि स्कूल बिल्डिंग और कई मकानों में दरारें आ गई हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि क्रशर खुले में चल रहा है, जिससे उड़ती धूल आसपास के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है। ग्रामीणों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि स्टोन क्रशर स्टेट हाईवे से मात्र 210 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि संयुक्त समिति की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या प्रशासन पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर ग्रामीणों की जान, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाता है। मेरठ कॉलेज परिसर और उससे सटे जाफरा बाग में बड़ी संख्या में पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला 5 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उठाया। ट्रिब्यूनल ने इस गंभीर आरोप की वास्तविक स्थिति की जांच और सुधार के लिए जरूरी कदम सुझाने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्यावरण नियमों के अनुसार सही कार्रवाई की जा सके।

एनजीटी के आदेशानुसार इस समिति में उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के जिलाधिकारी और मेरठ के प्रभागीय वन अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल ने समिति को दो सप्ताह के भीतर बैठक कर मौके का निरीक्षण करने, वास्तविक स्थिति की पुष्टि करने और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई सुझाने को कहा है।

समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपनी होगी। साथ ही रिपोर्ट की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी भेजनी होगी, ताकि पर्यावरण कानूनों और

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत जरूरी कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

यह मामला एनजीटी में एक आवेदन के जरिए लाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेरठ कॉलेज परिसर और उससे जुड़े जाफरा बाग में हजारों हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक कॉलेज की प्रबंधन समिति के सचिव पर आरोप है कि उन्होंने परिसर से 100 से अधिक और जाफरा बाग से 1,000 से ज्यादा पेड़ कटवाकर गैर-कानूनी तरीके से बेच दिए। आवेदक विजित तलियान ने अपने आवेदन के समर्थन में मेरठ के जिलाधिकारी को की गई शिकायतों की प्रतियां और समाचार पत्रों की कतरनें भी संलग्न की हैं। अब एनजीटी की जांच यह तय करेगी कि मेरठ के इस ऐतिहासिक परिसर में पेड़ों की कटाई केवल लापरवाही थी या पर्यावरण कानूनों का खुला उल्लंघन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने उम्ब्राज गांव में कथित अवैध ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े मामले को पश्चिमी पीठ, पुणे स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड तालुका का है। इस मामले में अब 25 फरवरी 2026 को पुणे पीठ सुनवाई करेगी। आवेदक का कहना है गांव में आवासीय इलाकों के पास कचरा खुले में डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, उस कचरे को खुले स्थानों पर जलाया भी जा रहा है, जिससे उठने वाला धुआं और बदबू घरों के भीतर तक पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा मृत पशुओं और पोल्ट्री अपशिष्ट को भी उसी क्षेत्र में डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एनजीटी के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई तेजी से होगी और गांववासियों को प्रदूषण व स्वास्थ्य संकट से राहत मिल सकेगी।

बाक्साइट खदान को मिली स्वीकृति, जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों ने शुरु किया विरोध, गांव-गांव हो रही बैठकें

बालाघाट । जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र के पचामा दादर के घने वन क्षेत्र में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर बाक्साइट खदान को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद मामला तूल पकडऩे लगा है। खदान प्रस्ताव को लेकर जहां प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं ग्रामीणों ने पर्यावरणीय प्रभाव और ग्रामसभा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गांव-गांव बैठकें हो रही है। आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। जनसुनवाई से पहले आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार दक्षिण बैहर के ग्राम पंचायत लूद, बम्हनी, सारद, धानीटोला, घोंदी सहित अन्य गांवों के बीच जंगल में बाक्साइट खदान के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। यह बाक्साइट खदान इन गांवों से करीब 10-12 किमी के दूरी पर संचालित होगी। लेकिन खदान के संचालन के लिए न केवल पेड़-पौधों की कटाई की जाएगी।

बल्कि ग्रामीणों के आजीविका पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इधर, बैहर विधायक संजय उइके के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, खदान परियोजना को प्रारंभिक स्वीकृति मिली है और आगे की प्रक्रिया पर्यावरणीय एवं वैधानिक अनुमतियों पर निर्भर करेगी। ग्रामसभा की सहमति पर प्रश्न स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खदान जैसी परियोजना के लिए वनाधिकार कानून और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम (पेसा) के तहत ग्रामसभा की स्पष्ट सहमति आवश्यक है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008